

19/11/20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित
दोनों अधिवक्ता को सुना, उभयपक्ष अधिवक्ता
इस बात पर एक मत हुआ कि ब्रह्मचर्य के
निर्णय तक रेकार्ड एवं मोके की प्रशासकीय कार्य
रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुनने बाद
आदेश दिया जाता है कि ग्राम मण्डी में स्थित
का.नं. 100, 101, 102, 103, 104 की रेकार्ड एवं मोके की
प्रशासकीय कार्य जैसलका ब्रह्मचर्य के वर्नाय रखने
विपक्षी सं। उक्त आराजीभात को किसी अन्य को
रख, लय, वादीशा या अन्य किसी तरीके से किसी
अन्य को हस्तान्तरित नहीं करें, प्राचीन का उक्त
दफ्तर से महसूल न ही करें न अन्य से करावे।
इसी क्रमसा पत्रावली जैसलका शमाए होकर
गठक से काम हो।

(Signature)
19.11.2020

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रायपुर, जिला-मीलवाडा

